पत्र संख्या:-15 / एम 1-102 / 2015 -1403
शिक्षा विभाग, बिहार

प्रेषक,

प्रो० (डा०) खालिद मिर्जा,
निदेशक (उच्च शिक्षा)

सेवा में,

कुलसचिव,
राज्य के सभी विश्वविद्यालय।

फैक्स / निबंधित

पटना, दिनांक 16/7/2015

विषय-- विधानमंडलीय सत्रावधि में विधायी कार्यों का समयानुकूल निष्पादन के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक विभागीय पत्रांक 311 दिनांक 18.02.2013 एवं पत्रांक 401 दिनांक 22.02.2013 का निदेश करना चाहेंगे। उक्त पत्रों के द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को विधानमंडलीय सत्रावधि के दौरान विधायी कार्यों का समयानुकूल निष्पादन हेतु निदेश प्रेषित है।

इसी क्रम में पुनः कहना है कि विश्वविद्यालयों से संबंधित विधान सभा / परिषद के लम्बित प्रश्नों / ध्यानाकर्षण सूचनाओं / निवेदनों तथा आश्वासनों का उत्तर निश्चित रूप से समय पर भेजने की व्यवस्था की जाय। साथ ही वर्त्तमान सत्र में आने वाले प्रश्नों का उत्तर (पूरक सामग्री के साथ) विभाग को समय पर उपलब्ध कराया जाए।

सत्रकाल के दौरान विभाग से निर्गत पत्रों को कार्यालय अवधि के बाद भी प्राप्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय तथा छुट्टी के दिनों में भी पत्र प्राप्ति / सूचना प्रेषण की व्यवस्था की जाए।

सत्र के दौरान विश्वविद्यालय मुख्यालय में किसी जवावदेह पदाधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जाय साथ ही दूरभाष / मोबाईल / फैक्स चालू रखा जाय ताकि विभाग द्वारा ससमय उत्तर सामग्री की प्राप्ति प्रश्नों का प्रेषण सुनिश्चित किया जा सके एवं तैयार उत्तर पर माननीय मंत्री महोदय के अनुमोदनोपरांत विधानमंडल के पटल पर प्रस्तुत किया जा सके।

कृपया उपरोक्त निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

Khalid Mirza 16.7.15

(खालिद मिर्जा)
निदेशक (उच्च शिक्षा)

राजेश

RAJESH

स/अत्यावश्यक

पत्र संख्या:–15/एम 1–18/2013 — 311
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

संजीवन सिन्हा,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में

कुलसचिव,
राज्य के सभी विश्वविद्यालय।

पटना, दिनांक 18/02/2013

विषय:– विधानमंडलीय सत्र के दौरान त्वरित गति से प्रश्नोत्तर सामग्रियों के प्रेषण के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि विधान मंडलीय सत्र के दौरान माननीय विधायकों से प्राप्त प्रश्नों, संकल्पों,ध्यानाकर्षण के उत्तर सामग्रियों जिनका संबंध विश्वविद्यालयों से रहता है, विभाग में समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण विभाग को विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। इस हेतु यह आवश्यक है कि विधानमंडलीय सत्रावधि के दौरान सभी विश्वविद्यालयों में एक कोषांग का गठन किया जाय जिसमें फैक्स आदि की व्यवस्था हो एवं देर तक रूक कर कार्य संपादित किया जाय। ताकि विभाग द्वारा भेजे जाने वाले प्रश्नों की उत्तर सामग्रियों विभाग को विलम्बतम् 24 घंटे के अंदर उपलब्ध करा दी जाय जिससे विभाग द्वारा समेकित रूप से उत्तर तैयार कर माननीय मंत्री महोदय से अनुमोदनोपरान्त विधानमंडल के पटन पर ससमय प्रस्तुत किया जा सके। साथ हीं विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण दूरभाष/मोबाईल पर सूचना प्रेषण/ग्रहण हेतु हमेशा उपलब्ध रहें। समझणीय है कि विधानमंडलीय सत्रावधि के दौरान निदेशक (उ0शि0)/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के कोषांग अवस्थित फैक्स का उपयोग उत्तर सामग्रियों के प्रेषण हेतु किया जा सकता है। साथ हीं अवकाश के दिनों में भी फैक्स प्राप्ति/भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय। इसमें किसी भी प्रकार शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी।

विश्वासभाजन,

(संजीवन सिन्हा)

1,

AX

URGENT

पत्रांक 15/एम 1-16/2013 - 401
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

संजीवन सिन्हा,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
राज्य के सभी विश्वविद्यालय।

पटना, दिनांक 22/02/2013

विषयः— विधान मंडलीय सत्र के दौरान विधान मंडलीय प्रश्न/ध्यानाकर्षण आदि के प्रश्नोत्तर सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 18.02.2013 का निदेश किया जाए। उक्त पत्र के द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को इस आशय का निदेश प्रेषित किया गया है कि विधान मंडलीय सत्र के दौरान विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण दूरभाष/मोबाईल पर सूचना प्रेषण/ग्रहण हेतु हमेशा उपलब्ध रहें तथा त्वरित गति से प्रश्नोत्तर सामग्रियों का उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। बावजूद इसके प्रायः यह देखा जा रहा है कि विश्वविद्यालय द्वारा विभाग के फोन को ग्रहण नहीं किया जा रहा है तथा प्रश्नोत्तर सामग्री प्रेषण में शिथिलता बरती जा रही है जिसके कारण माननीय मंत्री के द्वारा सदन में ससमय उत्तर देने में कठिनाई हो रही है तथा विभाग को सदन में विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। यह अत्यन्त खेदजनक है।

अतः विधान मंडलीय सत्र के दौरान विभागीय फोन/मोबाईल की अनदेखी नहीं किया जाए तथा प्रश्नों का उत्तर ससमय उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाए। ध्यातव्य हो कि किसी विश्वविद्यालय के द्वारा सदन में उत्तर देने में असहयोगात्मक रवैया अपनाना सदन की अवमानना माना जाएगा एवं विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के इस आचरण के कारण उनके विरूद्ध कार्रवाई हेतु सरकार स्वयं सदन के समक्ष अनुशंसा करेगी।

विश्वासभाजन,

22/2/13

(संजीवन सिन्हा)
सरकार के विशेष सचिव

Hindi letter 2013

[redacted]